अति महत्वपूर्ण/कोर्ट केस

संख्या-46/2025/1069926/60-1099/383/2024

प्रेषक,

लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 27 अगस्त, 2025**

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मिस्लेनियस बेल एप्लीकेशन संख्या-25993/2024 श्रीमती रेखा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-11262 ऑफ 2025, श्रीमती सन्तोष बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मिस्लेनियस बेल एप्लीकेशन संख्या-25993/2024 श्रीमती रेखा बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2025 एवं क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-11262 ऑफ 2025, श्रीमती संतोष बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2025 के अनुपालन में जेल में निरूद्ध महिला बंदियों के साथ आवासित छः वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों के कल्याण, शिक्षा तथा सर्वांगीण विकास व संरक्षण हेतु सम्बन्धित विभागों (कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, गृह विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) द्वारा दिये गये सुझाव को सम्मिलित करते हुए, उनकी सहमति के आधार पर समेकित योजना **'सुरक्षितबचपन योजना'**तैयार की गयी है जोनिम्नवत है:-

'सुरक्षित बचपन'

(कारागारों में महिला बंदियों के साथ आवासित बच्चों के समग्र विकास और संरक्षण हेतु समेकित योजना)

1. **पृष्ठभूमिः**

उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत वर्तमान समय में कुल 77 कारागार स्थापित हैं, जिनमें से 07 केन्द्रीय कारागार, 64 जिला कारागार, 01 महिला केन्द्रीय कारागार, 02 उप कारागार तथा 03 विशिष्ट कारागार (01 आदर्श कारागार, 01 किशोर सदन, 01 नारी बंदी निकेतन) संचालित हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कारागारों की सामूहिक क्षमता 77,095 बंदियों की है। वर्तमान में 31 जुलाई 2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की गणना के अनुसार 91,610 बंदी निरूद्ध हैं। राज्य सरकार निरन्तर बंदियों को सुविधाएं प्रदान करने और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु कई जनपदों में नवीन कारागारों के नवनिर्माण हेतु प्रयासरत् है।

उत्तर प्रदेश नवीन जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर 336 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार कारागारों में निरूद्ध दोषसिद्ध/विचाराधीन महिला बंदियों के 06 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे उनकी देखरेख में कारागार परिसर में ही आवासित कराये जा रहे हैं। ज्ञातव्य है कि विभिन्न शोधों में उल्लेख है कि बच्चों में जन्म से लेकर 05 वर्ष तक की आयु में (मुख्य रूप से 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग) मस्तिष्क का विकास होता है। ऐसे में यदि बच्चा पारिवारिक वातावरण में रहे तो यह बच्चे के मस्तिष्क के विकास में सहायक होगा, परन्तु प्रदेश के कारागारों में सीमित संसाधनों, स्टाफ तथा स्थान के दृष्टिगत प्रत्येक बच्चे को वैयक्तिक देखभाल, सुरक्षा, विकास के अवसर, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि पारिवारिक माहौल के अनुरूप दिया जाना चुनौतीपूर्ण है। साथ ही कारागार में रहने के कारण बच्चों पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों से भी उन्हें बचाना अत्यंत ही आवश्यक है।

उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन संख्या-25993/2024, श्रीमती रेखा बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2025 के क्रम में प्रदेश सरकार को कारागारों में निरूद्ध महिला बंदियों के बच्चों के समग्र विकास और संरक्षण हेतु समेकित योजना विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. **प्रस्तावित योजना के मुख्य उद्देश्यः**

- संबंधित विभागों यथा-कारागार प्रशासन एवं सुधार, महिला एवं बाल विकास, गृह, न्याय, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से कारागारों में निरूद्ध महिला बंदियों के साथ आवासित 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का समग्र विकास और संरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु उनकी शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पोषण, देखरेख, मनोरंजन, मनोसामाजिक परामर्श एवं भावनात्मक सहयोग आदि हेतु सहायक बुनियादी ढांचों की उपलब्धता।
- कारागार परिसर के वातावरण में आवासित होने के कारण बच्चों पर होने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों से उनका बचाव।
- बच्चों का समग्र विकास और संरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु निगरानी तंत्र विकसित किया जाना।
- योजना का संचालन ''सुरक्षित बचपन योजना'' के नाम से किया जायेगा।

3. **पात्रताः**

- 0-6 वर्ष आयुवर्ग के ऐसे बच्चे, जिनकी माता/संबंधी महिला संरक्षक (दादी, नानी इत्यादि) के कारागार में कैदी के रूप में आवासित होने के कारण, बच्चे कारागार परिसर में ही आवासित हैं।
- 0-6 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे बच्चे, जिनकी माता नहीं है और पिता कारागार में निरूद्ध है या ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों कारागार में निरूद्ध हैं और वह अपने बच्चों को अपने साथ कारागार में न रखकर विस्तारित परिवार अथवा बाल गृहों में आवासित कराये जाने के इच्छुक हैं।

4. **''संयुक्त निगरानी समिति'' का गठन,भूमिका एवं दायित्वः**

- प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''सुरक्षित बचपन योजना'' की निगरानी तथा सुचारू

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रियान्वयन हेतु ''संयुक्त निगरानी समिति'' का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगेः

क्र0	पदनाम	पदभार
01	जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिलाधिकारी	अध्यक्ष
02	जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य सचिव
03	वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार	सदस्य
04	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ बाल चिकित्सक	सदस्य
05	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
06	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
07	अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति	सदस्य

- सर्वप्रथम, ''संयुक्त निगरानी समिति'' द्वारा संबंधित कारागारों में संयुक्त विजिट की जायेगी और कारागार में निरूद्ध महिला बंदियों के साथ आवासित बच्चों की आवश्यकताओं का आंकलन किया जायेगा।आंकलन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगाः
- बच्चों की चिकित्सा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकतायें;
- बच्चों को सूर्य के प्रकाश और ताजी हवा में रखने संबंधी उपाय;
- रचनात्मक गतिविधियाँ, परिसर के अंतर्गत स्थित खुले मैदानों में गतिविधियाँ और खेलों तक बच्चों की पहुँच;
- बच्चों की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक परामर्श आवश्यकतायें;
- 2-4 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों हेतु कारागार परिसर में क्रेच/शिशुकक्ष तथा 4-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु प्री-स्कूलों/किंडरगार्टन स्कूलों और प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश सहित शैक्षिक सुविधायें। विद्यालय, कारागार परिसर में स्थित नहीं होने चाहिए;
- विद्यालयों में उक्त श्रेणी के बच्चों का अपने सहपाठियों के साथ बातचीत और गतिविधियों को सुगम बनाने संबंधी कदम उठाया जाना;
- कारागार परिसर में आवासित बच्चों तथा अन्य बंदियों के बीच यथासंभव संपर्क को रोकने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें। साथ ही कारागार परिसर में आवासित होने के कारण बच्चों पर होने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों को दूर करने हेतु बच्चों के आवास क्षेत्र को बाल हितैषी (चाइल्ड फ्रेंडली) परिसर के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक उपाय;
- 0-6 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan-ICP) का विकास एवं निगरानी;
- आवासित सभी बच्चों के लिए उपयुक्त पैडागॉजी (शिक्षण पद्धति) का विकास तथा दिनचर्या/कैलेन्डर विकसित किया जाना;
- विद्यालय के समय के पश्चात् शाम की गतिविधियों के लिए बाल देखरेख संस्थाओं सहित स्वयंसेवी संस्थाओं की गतिविधियों से जुड़ाव, बच्चों के साथ विभिन्न जीवन कौशल एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रूचिपूर्ण गतिविधियां कराने हेतु मेंटर शिक्षकों/रिटायर्ड कार्मिकों/वालन्टियर्स/इन्टर्न की व्यवस्था;

- उपर्युक्त गतिविधियाँ प्रकृति में उदाहरण स्वरूप हैं और उक्त योजना के तत्वों की संपूर्ण सूची नहीं है। ''संयुक्त निगरानी समिति'' को आवश्यकतानुसार गतिविधियों और सहायता प्रणालियों की सूची बढ़ाने की छूट है। न्याय, कारागार, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खेलकूद तथा राज्य के किसी अन्य विभाग सहित अन्य मंत्रालय एवं प्राधिकरण, जहां आवश्यक हो, कारागार प्रशासन विभाग के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे।
- ''संयुक्त निगरानी समिति'' द्वारा आवश्यकता आँकलन की विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
- उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागों को उनसे संबंधित बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया जायेगा।
- ''संयुक्त निगरानी समिति'' द्वारा संबंधित विभागों यथा-न्याय, बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खेलकूद, पुलिस, जेल प्रशासन तथा जनपद प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किया जायेगा।
- ''संयुक्त निगरानी समिति'' प्रत्येक माह में कारागार का भ्रमण कर ''सुरक्षित बचपन योजना'' के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु बैठक करेगी और अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी।

5. **विभिन्न विभागों तथा हितगामियों (स्टेकहोल्डर्स) की भूमिका व दायित्वः**

5(1) - कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0:

- महिला बंदियों के कारागार में निरूद्ध होने के 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार उनके साथ आवासित बच्चों को बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee –CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी को सूचित किया जायेगा।
- संबंधित कारागार अधीक्षक प्रत्येक माह महिला बंदियों के साथ आवासित बच्चों की सूची तैयार कर बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee & CWC) व जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी (District Child Protection Officer-DCPO/District Probation Office-DPO) को प्रेषित किया जायेगा।
- कारागार प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि, बच्चों के साथ आवासित महिला बंदियों को यथासंभव एक ही बैरक में आवासित कराया जाये, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके साथ आवासित बच्चों का अन्य बंदियों के साथ कम से कम संपर्क हो।
- साथ ही कारागार परिसर में आवासित होने के कारण बच्चों पर होने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों को दूर करने हेतु बच्चों के आवास क्षेत्र को बाल हितैषी (चाइल्ड फ्रेंडली) परिसर के रूप में विकसित करने हेतु आवश्यक उपाय किये जायेंगे।
- कारागार प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि 2-4 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों हेतु कारागार परिसर में क्रेच/शिशुकक्ष तथा 4-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु प्री-स्कूल/किंडरगार्टन स्कूलों और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश सहित शिक्षा संबंधी अन्य सुविधायें उपलब्ध हों। उक्त स्कूल कारागार परिसर में स्थित नहीं होंगे।

- कारागार प्रशासन परिसर के अंतर्गत स्थित खुले मैदानों में गतिविधियाँ और खेलों तक बच्चों की पहुँच प्रदान करेंगे।
- उक्त वर्ग के बच्चों को कारागार परिसर के भीतर विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के माध्यम से रचनात्मक गतिविधियों, खेलकूद व मनोरंजन तक पहुँच प्रदान करेंगे।
- कारागार परिसर में उक्त वर्ग के बच्चों हेतु पुस्तकालय बनाए जाएंगे।
- कारागार प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों एवं हितगामियों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- उ0प्र0 कारागार मैनुअल-2022 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5(2)-महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेशः

- विभाग द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रत्येक जनपद में ''देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों'' (Children in Need of Care & Protection-CNCP) के प्रकरणों की निगरानी तथा उनके सर्वोत्तम हितों में निर्णय लिये जाने हेतु बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee-CWC) का गठन किया गया है। बाल कल्याण समिति प्रत्येक माह ''संयुक्त निगरानी समिति'' के साथ कारागार का भ्रमण करेगी।
- जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit-DCPU) में कार्यरत् संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक/गैर संस्थानिक देखरेख) तथा परामर्शदाता द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्ररूप-7 पर प्रत्येक बच्चे की **''व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार (Individual Care Plan-ICP)''** कराई जायेगी, जिसमें उनके समग्र विकास, पोषण, स्वास्थ्य व चिकित्सा, खेलकूद एवं मनोरंजन (आउटडोर गतिविधियां), औपचारिक शिक्षा व स्कूल के बाद ट्यूशन, सुरक्षा व संरक्षण, कारागार के संभावित नकारात्मक माहौल से बचाव, बच्चों का अपने स्कूल के साथियों और कारागार परिसर के बाहर अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ संपर्क व अन्य कैदियों के संपर्क से उन्हें यथासंभव दूर रखने, आवश्यकतानुसार उनके परामर्श, सूर्य के प्रकाश और ताजी हवा के संपर्क एवं समेकित विकास की आवश्यकताओं संबंधी बिन्दुओं को शामिल किया जायेगा।
- बाल कल्याण समिति बच्चे के माता-पिता के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय न्यायालय को उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- बाल कल्याण समिति द्वारा कारागारों में महिला बंदियों के साथ आवासित बच्चों की **''व्यक्तिगत देखरेख योजना''** की समीक्षा कर कारागार अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जायेगा।
- बाल कल्याण समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि 06 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो कारागारों में महिला बंदियों (अंडर ट्रायल/दोषी) के साथ आवासित हैं, उनको उनके विस्तारित परिवारों में आवासित कराया जा सके अथवा परिस्थितिनुसार बाल देखरेख संस्थाओं (बालक/बालिका/शिशु) में स्थानांतरित किया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- महिला कल्याण विभाग द्वारा ''व्यक्तिगत देखरेख योजना'' तैयार करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit-DCPU) को प्रशिक्षण प्रदान दिया जायेगा।
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या माता कारागार में निरूद्ध हैं तथा उनके विस्तारित परिवार उनकी देखरेख हेतु इच्छुक हैं, उन बच्चों के सर्वांगीण विकास में समर्थन हेतु भारत सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में संचालित ''मिशन वात्सल्य योजना'' के अंतर्गत संचालित ''स्पॉन्सरशिप योजना'' के अंतर्गत प्रतिमाह ₹4,000/- अथवा प्रदेश सरकार की ''उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)'' के अंतर्गत प्रतिमाह ₹2,500/- की धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

5(3)-गृह/पुलिस विभाग, उ0प्र0:

- स्थानीय पुलिस अधिकारी/विशेष किशोर पुलिस इकाई/संबंधित थाने के बाल कल्याण अधिकारी, माता या माता-पिता की गिरफ्तारी के बाद कारागार में आवासित कराये जा रहे बच्चे की लिखित सूचना 24 घंटों के भीतर बाल कल्याण समिति को देंगे तथा उसकी एक प्रति जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी को भी उपलब्ध करायेंगे।
- स्थानीय पुलिस अधिकारी/विशेष किशोर पुलिस इकाई/संबंधित थाने के बाल कल्याण अधिकारी, जमानत आवेदन पर सुनवाई की सूचना बाल कल्याण समिति को ससमय देंगे।
- स्थानीय पुलिस अधिकारी/विशेष किशोर पुलिस इकाई/संबंधित थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की लिखित सूचना से जमानत आवेदन पर सुनवाई कर रहे न्यायालय को अवगत कराया जाएगा।

5(4)-बेसिक शिक्षा विभागः

- 4-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के समग्र विकास हेतु विद्यालयों में प्रवेश कराये जाने के साथ-साथ कारागारों में मेंटर शिक्षक की तैनाती की जायेगी जिससे विद्यालय समय के उपरांत बच्चों को जीवन कौशल एवं ट्यूशन आदि रचनात्मक गतिविधियों में सहयोग किया जा सके।
- आवासित बच्चों के लिए उपयुक्त पैडागॉजी (शिक्षण पद्धति) का विकास तथा दिनचर्या कैलेन्डर विकसित किया जायेगा।

5(5)-बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभागः

- कारागार से समीपस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र की गुणवत्तापूर्ण पोषाहार तथा ई0सी0सी0ई0 (Early Childhood Care & Education-ECCE) की सुविधा से आवश्यकतानुसार बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा।

5(6)-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागः

- बच्चों को नियमित टीकाकरण तथा स्वास्थ्य जाँच हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के माध्यम से सुविधा प्रदान करेंगे।
- यदि किसी बच्चे को उपचार हेतु अस्पताल भेजने की आवश्यकता है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी निःशुल्क उपचार और निदान उपलब्ध करायेंगे।
- यदि बच्चा स्तनपान करने योग्य आयु वर्ग का है तो माता को अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए उचित अवसर और परामर्श प्रदान किया जायेगा। स्तनपान कराने वाली माताओं की आहार संबंधी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई (District Mental Health Unit-DMHU) के माध्यम से मूल्यांकन उपरांत मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक परामर्श सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी।
- कारागार में निरूद्ध ऐसे माता-पिता दोनों/माता, जो अपने बच्चों को कारागार से बाहर विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते हैं तथा न ही अपने विस्तारित परिवारों या बाल देखरेख संस्थाओं में स्थानांतरित कराना चाहते हैं, उन्हें जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक परामर्श सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

6. सेवाओं की समाप्ति

- माता-पिता, माता अथवा पिता के कारागार से मुक्त होने और अपने बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण सुनिश्चित किये जाने की लिखित सहमति, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सुविधाओं तथा सेवाओं को समाप्त किया जा सकेगा, यद्यपि परिवार को निरंतर आवश्यकतानुसार सहयोग देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ा जायेगा।

7. **जनपद स्तरीय व राज्य स्तरीय निगरानी तंत्र:**

- ''संयुक्त निगरानी समिति'' प्रत्येक माह में कारागार का भ्रमण कर ''सुरक्षित बचपन योजना'' के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु बैठक करेगी और अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक दो मास में **''संयुक्त निगरानी समिति''** के कार्यों की समीक्षा कर आख्या निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 को प्रेषित की जायेगी।
- जिलाधिकारीद्वारा प्रेषित आख्या का निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा परीक्षण कर, आख्या शासन को प्रेषित की जायेगी।
- राज्य स्तर परयथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,महिला कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश शासनकी अध्यक्षता में निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा प्रेषित आख्या/योजना की समीक्षा प्रत्येक त्रैमास में की जाएगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव।

सख्ंया-46/2025/1069926/60-1099/383/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5- समस्त जिला प्राबेशन अधिकारी, उ0प्र0 ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0 ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधा वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।